पत्र संख्या–6 एस०एस० (6) 23/2017 3841

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 30/11 /2017

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– ***आतंरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 10.00 करोड़ (दस करोड़) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 10.00 करोड़ (दस करोड़) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अधिकत्तर आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। राज्य के निवास गाँव में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को बिहार कौशल विकास अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत पशुपालन प्रक्षेत्र के विभिन्न विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर उनके तकनीकी एवं व्यवासयिक योग्यता एवं क्षमता में विकास कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पुर्ति हेतु सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार कौशल विकास मिशन में पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उनके द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर निम्नांकित पशुपालन से संबंधित विधाओं/कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य किया जायेगा :–

(i) Animal Health Worker
(ii) Broiler Poultry Farm Worker
(iii) Goat Farmer
(iv) Artificial Insemination Technician
(v) Dairy Farmer/Entrepreneur
(vi) Dairy Farm Supervisor
(vii) Layer Farm Worker

3. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय–समय निर्धारित Operational Guildlines के अनुरूप किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों में सामान्य वर्ग, अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का चयन किये जाने के उपरान्त चयनित संस्थाओं के माध्यम से बैचवार प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। सफल प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण के नियोजन/स्वरोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व भी संबंधित प्रशिक्षण प्रदात्ता संस्था का होगा। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर ही राशि का भुगतान निदेशक, पशुपालन द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नाकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

(i) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-109 -विस्तार तथा प्रशिक्षण, माँग संख्या-02 -उप शीर्ष-0108 -बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403001090108 (व्यय विवरणी-''क'' संलग्न)।

(ii) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-02 -उप शीर्ष-0108 -बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007890108 (व्यय विवरणी-''ख'' संलग्न)।

(iii) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-02 -उप शीर्ष-0127 -बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007960127(व्यय विवरणी-''ग'' संलग्न)।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के तहत स्वीकृत राशि अग्रिम के रूप में निकासी कर बी0एल0डी0ए0, पटना के द्वारा संचालित बैंक खाता में रखकर योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया जायेगा। अग्रिम की निकासी पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. चुंकि यह योजना नई योजना है। योजना का लागत मूल्य 10.00 करोड़ है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना की स्वीकृति हेतु दिनांक-13.11.2017 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका सं0-6 एस०एस० (6) 23/2017 के पृष्ठ 16-17/प0।

7. वित्त विभाग के संकल्प 3758 दिनांक-31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान एवं वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं0-6 एस०एस० (6) 23/2017 के पृष्ठ -02/टि0।

8. निदेशक, पशुपालन, बिहार कौशल विकास मिशन में पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा पशुपालन प्रक्षेत्र संबंधित विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिये जाने के

उपरान्त मिशन द्वारा समय–समय निर्गत दर मानक के आधार पर प्रशिक्षण संस्थाओं को राशि का भुगतान किया जायेगा।

9. निदेशक, पशुपालन इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूपेण जबावदेह होंगे ताकि तृतीय रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

10. निदेशक, पशुपालन इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने हेतु पशुपालन निदेशालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं0–6 एस०एस० (6) 23/2017 के पृष्ठ–40/टि0 तथा डायरी संख्या–71, दिनांक–27.11.2017.

12. वित्त विभागीय पत्र–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

30/11/17
(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23/2017 3841 /पटना–15, दिनांक–30/11/2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23/2017 3841 /पटना–15, दिनांक–30/11/2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23/2017 3841 /पटना–15, दिनांक–30/11/2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना/सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23 / 2017 3841 / पटना–15, दिनांक–30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23 / 2017 3841 / पटना–15, दिनांक–30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस० (6) 23 / 2017 3841 / पटना–15, दिनांक–30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी–'क'

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणीः–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0108.13.01– कार्यालय व्यय	7.80	निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2.	0108.20.03– प्रशिक्षण व्यय	466.29		
3.	0108.28.01– संविदा सेवाएँ	305.91		
योग :–		**780.00**		

(₹ सात करोड़ अस्सी लाख) मात्र।

3841
30/11/2017

30/11/17
सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी–'ख'

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणीः–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0108.13.01– कार्यालय व्यय	20.00	निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2.	0108.20.03– प्रशिक्षण व्यय	108.00		
3.	0108.28.01– संविदा सेवाएँ	72.00		
	योग :–	**200.00**		

(₹ दो करोड़) मात्र।

3841
30/11/2017

[signature] 30/11/17
सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी–'ग'

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणीः–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0127.13.01– कार्यालय व्यय	2.00	निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2.	0127.20.03– प्रशिक्षण व्यय	10.80		
3.	0127.28.01– संविदा सेवाएँ	7.20		
योग :–		**20.00**		

(₹ बीस लाख़) मात्र।

व्यय का सारांश	(राशि रुपये लाख में)
(1) व्यय विवरणी– "क"	780.00
(2) व्यय विवरणी– "ख"	200.00
(3) व्यय विवरणी– "ग"	20.00
कुल योगः–	**1000.00**

रुपये (दस करोड़) मात्र।

3841
30/11/2017

30/11/17
सरकार के अपर सचिव।